



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 249]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 31, 2012/ज्येष्ठ 10, 1934

No. 249]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 31, 2012/JYAISTHA 10, 1934

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

शुद्धि-पत्र

नई दिल्ली, 29 मई, 2012

संदर्भ : राजपत्र अधिसूचना संख्या 140, दिनांक 28 मार्च, 2012

सा.का.नि. 412(अ). सा.का.नि.256(अ), दिनांक 27-03-2012 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, (दूरसंचार विभाग) से संबंधित भारत सरकार की अधिसूचना के पैरा 2(क) में

“फाइबर बिछाकर और” को

“(ग) फाइबर बिछाकर और.....” के रूप में पढ़ा जाए।

[फा. सं. 3-5/2012-पीएचपी]

शिव शंकर सिंह, उप महानिदेशक (जन शिकायत)
सह-पदेन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

CORRIGENDUM

New Delhi, the 29th May, 2012

Reference : Gazette Notification No. 140 dated March 28, 2012

G.S.R. 412(E).—In the notification of the Government of India for the Ministry of Communications And Information Technology (Department of Telecommunications) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 256(E), dated 27th March, 2012, in the Para 2(a),

“For creation of Nation Optical Fibre Network.....”
shall be read as

“(c) For creation of National Optical Fibre
Network.....”

[F.No. 3-5/2012-PHP]

S. S. SINGH, Dy. Director General (PG)
cum-ex-officio Jt. Secy.

- | | |
|---|--|
| 4. सा.का.नि. 679, दिनांक 30-6-1984 | 40. सा.का.नि. 933 (अ), दिनांक 3-12-1990 |
| 5. सा.का.नि. 428, दिनांक 27-4-1985 | 41. सा.का.नि. 985 (अ), दिनांक 20-12-1990 |
| 6. सा.का.नि. 729, दिनांक 3-8-1985 | 42. सा.का.नि. 74 (अ), दिनांक 18-1-1991 |
| 7. सा.का.नि. 982, दिनांक 19-10-1986 | 43. सा.का.नि. 237 (अ), दिनांक 25-4-1991 |
| 8. सा.का.नि. 553 (अ), दिनांक 27-3-1986 | 44. सा.का.नि. 251 (अ), दिनांक 2-5-1991 |
| 9. सा.का.नि. 314, दिनांक 26-4-1986 | 45. सा.का.नि. 543 (अ), दिनांक 21-5-1992 |
| 10. सा.का.नि. 566, दिनांक 26-7-1986 | 46. सा.का.नि. 560 (अ), दिनांक 26-5-1992 |
| 11. सा.का.नि. 953 (अ), दिनांक 23-7-1986 | 47. सा.का.नि. 587 (अ), दिनांक 10-6-1992 |
| 12. सा.का.नि. 1121 (अ), दिनांक 1-10-1986 | 48. सा.का.नि. 730 (अ), दिनांक 19-8-1992 |
| 13. सा.का.नि. 1167 (अ), दिनांक 28-10-1986 | 49. सा.का.नि. 830 (अ), दिनांक 28-10-1992 |
| 14. सा.का.नि. 1237 (अ), दिनांक 28-11-1986 | 50. सा.का.नि. 62 (अ), दिनांक 11-2-1993 |
| 15. सा.का.नि. 49, दिनांक 17-1-1987 | 51. सा.का.नि. 80, दिनांक 6-02-1993 |
| 16. सा.का.नि. 112 (अ), दिनांक 25-2-1987 | 52. सा.का.नि. 384 (अ), दिनांक 27-4-1993 |
| 17. सा.का.नि. 377 (अ), दिनांक 9-4-1987 | 53. सा.का.नि. 387 (अ), दिनांक 28-4-1993 |
| 18. सा.का.नि. 674, दिनांक 27-7-1987 | 54. सा.का.नि. 220 (अ), दिनांक 26-3-2004 |
| 19. सा.का.नि. 719, दिनांक 18-8-1987 | 55. सा.का.नि. 193 (अ), दिनांक 1-3-2007 |
| 20. सा.का.नि. 837 (अ), दिनांक 5-10-1987 | 56. सा.का.नि. 49 (अ), दिनांक 27-1-2016 |
| 21. सा.का.नि. 989 (अ), दिनांक 17-11-1987 | |
| 22. सा.का.नि. 337 (अ), दिनांक 1-3-1988 | |
| 23. सा.का.नि. 361 (अ), दिनांक 21-3-1988 | |
| 24. सा.का.नि. 626 (अ), दिनांक 17-5-1988 | |
| 25. सा.का.नि. 660 (अ), दिनांक 31-5-1988 | |
| 26. सा.का.नि. 693 (अ), दिनांक 10-6-1988 | |
| 27. सा.का.नि. 734 (अ), दिनांक 24-6-1988 | |
| 28. सा.का.नि. 606, दिनांक 14-7-1988 | |
| 29. सा.का.नि. 812 (अ), दिनांक 26-7-1988 | |
| 30. सा.का.नि. 888 (अ), दिनांक 1-9-1988 | |
| 31. सा.का.नि. 907 (अ), दिनांक 7-9-1988 | |
| 32. सा.का.नि. 916 (अ), दिनांक 9-9-1988 | |
| 33. सा.का.नि. 1054, दिनांक 2-11-1988 | |
| 34. सा.का.नि. 179, दिनांक 18-3-1989 | |
| 35. सा.का.नि. 358 (अ), दिनांक 15-3-1989 | |
| 36. सा.का.नि. 622 (अ), दिनांक 15-6-1989 | |
| 37. सा.का.नि. 865 (अ), दिनांक 29-9-1989 | |
| 38. सा.का.नि. 413 (अ), दिनांक 29-3-1990 | |
| 39. सा.का.नि. 574 (अ), दिनांक 15-6-1990 | |

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND
INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Telecommunications)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2012

G.S.R. 256(E). - In exercise of the powers conferred by Section 7 of the Indian Telegraph Act, 1885 (13 of 1885), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951, namely:

1. (1) These rules may be called the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Telegraph Rules, 1951,

(a) In Rule 525, in sub-rule (2), in Stream V, after item (b), the following item shall be inserted namely:—

“For creation of Nation Optical Fibre Network for extending the Broadband connectivity up to all Gram Panchayats or villages by bridging the gaps in the aggregation layer through laying of Fibre and installation of end-equipment or terminals, the Capital Expenses and Operating Expenses net of revenue incurred by the Special Purpose Vehicle (SPV) as nominated or identified or approved or created by Central Government shall be funded by Universal Service Obligation Fund (USOF) for a period of five years from the date the Indian Telegraph (Amendment) Rules, 2012 come into force.”

(b) For Rule 526, the following rule shall be substituted, namely:—

“526. Criteria for selection of Universal Service Provider.— The selection of the Universal Service Provider shall be made by a bidding process from amongst the eligible operators, except for item (a) and item (aa) of clause (ii), item (c) of clause (v) and clause (vi) of sub-rule (2) of Rule 525 and the agreement signed as a result of the bidding process shall not be treated as grant of fresh license under the Indian Telegraph Act, 1885.

Explanation—For the purposes of this rule, “eligible operators” means the entities having valid license or registration or authorization from Central Government/ Department of Telecommunication for providing telecom services or infrastructure or any other entities as may be specified in this regard by the Central Government from time to time”.

[F. No. 3-5/2012-PHP]

S. S. SINGH, Dy. Director General (PG)
Cum-Ex-Officio Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Post and Telegraph Manual Volume I, Legislative Enactments, Part II, Edition and subsequently amended *vide* notification numbers—

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. G.S.R. 190, dated 18-2-1984 | 19. G.S.R. 719(E), dated 18-8-1987 |
| 2. G.S.R. 386, dated 22-5-1984 | 20. G.S.R. 837(E), dated 5-10-1987 |
| 3. G.S.R. 387(E), dated 22-5-1984 | 21. G.S.R. 989(E), dated 17-12-1987 |
| 4. G.S.R. 679, dated 30-6-1984 | 22. G.S.R. 337(E), dated 11-3-1988 |
| 5. G.S.R. 428, dated 27-4-1985 | 23. G.S.R. 361 (F), dated 21-3-1988 |
| 6. G.S.R. 729, dated 3-8-1985 | 24. G.S.R. 626 (E), dated 17-5-1988 |
| 7. G.S.R. 982, dated 19-10-1986 | 25. G.S.R. 660 (E), dated 31-5-1988 |
| 8. G.S.R. 553(E), dated 27-03-1986 | 26. G.S.R. 693(E), dated 10-6-1988 |
| 9. G.S.R. 314, dated 26-4-1986 | 27. G.S.R. 734(E), dated 24-6-1988 |
| 10. G.S.R. 566, dated 26-7-1986 | 28. G.S.R. 606, dated 14-7-1988 |
| 11. G.S.R. 953(E), dated 23-7-1986 | 29. G.S.R. 812(E), dated 26-7-1988 |
| 12. G.S.R. 1121(E), dated 1-10-1986 | 30. G.S.R. 888(E), dated 1-9-1988 |
| 13. G.S.R. 1167(E), dated 28-10-1986 | 31. G.S.R. 907(E), dated 7-9-1988 |
| 14. G.S.R. 1237(E), dated 28-11-1986 | 32. G.S.R. 916(F), dated 9-9-1988 |
| 15. G.S.R. 49, dated 17-1-1987 | 33. G.S.R. 1054, dated 2-11-1988 |
| 16. G.S.R. 112(E), dated 25-2-1987 | 34. G.S.R. 179, dated 18-3-1989 |
| 17. G.S.R. 377(E), dated 9-4-1987 | 35. G.S.R. 358(E), dated 15-3-1989 |
| 18. G.S.R. 674(E) dated 27-7-1987 | 36. G.S.R. 622(F), dated 15-6-1989 |
| | 37. G.S.R. 865, dated 29-9-1989 |
| | 38. G.S.R. 413 (E), dated 29-3-1990 |
| | 39. G.S.R. 574(E), dated 15-6-1990 |
| | 40. G.S.R. 933(E), dated 3-12-1990 |
| | 41. G.S.R. 985(E), dated 20-1-1990 |
| | 42. G.S.R. 74(E), dated 18-1-1991 |
| | 43. G.S.R. 237(E), dated 25-4-1991 |
| | 44. G.S.R. 251 (E), dated 2-5-1991 |
| | 45. G.S.R. 543(E), dated 21-5-1992 |
| | 46. G.S.R. 560(E), dated 26-5-1992 |
| | 47. G.S.R. 587(E), dated 10-6-1992 |
| | 48. G.S.R. 730(E), dated 19-8-1992 |
| | 49. G.S.R. 830(E), dated 28-10-1992 |
| | 50. G.S.R. 62(E), dated 11-2-1993 |
| | 51. G.S.R. 80, dated 6-2-1993 |
| | 52. G.S.R. 384(E), dated 27-4-1993 |
| | 53. G.S.R. 387(E), dated 28-4-1993 |
| | 54. G.S.R. 220(E), dated 26-3-2004 |
| | 55. G.S.R. 193(E), dated 01-03-2007 |
| | 56. G.S.R. 49(E), dated 27-01-2010 |



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 28, 2012/चैत्र 8, 1934

No. 140]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 28, 2012/CHAITRA 8, 1934

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

(दूरसंचार विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2012

सा.का.नि. 236(अ), भारतीय तार अधिनियम, 1885 (1885 का 13) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार भारतीय तार नियमावली, 1951 को और संशोधित करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2012 कहा जाए।

(2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. भारतीय तार नियमावली, 1951 में—

(क) नियम 525 के, उप-नियम (2) में, स्ट्रीम-V में मद (ख) के बाद निम्नलिखित मद को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :-

“फाइबर बिछाकर और अंतिम छोर के उपस्कर तथा टर्मिनलों की संस्थापना करके एग्रिगेशन लेयर में अंतरालों को पाटकर सभी ग्राम पंचायतों अथवा गांवों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के सृजन हेतु, केन्द्र सरकार द्वारा यथा नामोदिष्ट अथवा अभिज्ञात अथवा अनुमोदित अथवा सृजित विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी) द्वारा राजस्व के निवल रूप में खर्च किए गए पूंजीगत व्यय और प्रचालन संबंधी व्यय का वित्तपोषण सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि द्वारा भारतीय तार (संशोधन) नियमावली, 2012 के प्रभावी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा।”

(ख) नियम 526 के लिए निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“526. सार्वभौमिक सेवा प्रदाता के नियम का मानदण्ड : सार्वभौमिक सेवा प्रदाता का प्रत्येक नियम (3) के खण्ड (ii) की गण (क) और गण (ग) के, खण्ड (iv) की गण (ग) और उप-नियम (2) के खण्ड (vi) के छोड़कर, पात्र प्रचालकों में से बोली प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा और बोली प्रक्रिया को परिणामस्वरूप हस्ताक्षरित करार के भारतीय तार अधिनियम, 1885 के तहत सेवा लाइसेंस प्रदान करना नहीं माना जाएगा।”

(पंजीकरण) इस नियम के प्रयोजन हेतु, पात्र प्रचालकों का अर्थ ऐसी कंपनियों से है जिनके पास दूरसंचार सेवाएं अथवा अवसंरचना प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार अथवा दूरसंचार विभाग की ओर से वैद्य लाइसेंस अथवा पंजीकरण अथवा प्राधिकार प्राप्त हैं अथवा किन्हीं अन्य ऐसी कंपनियों से है, जो केन्द्र सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाए।”

[फा. सं. 3-5/2012-पीएचपी]

शिव शंकर सिंह, उप महानिदेशक (जन शिकायत)

सह-पदेन संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मुख्य नियम डाक एवं तार मैनुअल खंड 1, विधायी अधिनियमन, भाग II संस्करण में प्रकाशित किए गए थे और इनमें अगले संशोधन निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं द्वारा किए गए हैं :-

1. सा.का.नि. 190, दिनांक 18-2-1984
2. सा.का.नि. 386, दिनांक 22-5-1984
3. सा.का.नि. 387 (अ), दिनांक 22-5-1984